



Neutral Citation No. - 2026:AHC:57891

**इलाहाबाद उच्च न्यायालय**

**आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 7762 वर्ष 2026**

विशाल उर्फ शोभित

...आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

...प्रतिवादी

आवेदक के अधिवक्ता: अभिनव त्रिवेदी, आदर्श कुमार

प्रतिवादी के अधिवक्ता: शासकीय अधिवक्ता

**न्यायालय संख्या - 70**

**माननीय न्यायमूर्ति संतोष राय**

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री संदीप चौधरी, राज्य-प्रतिवादियों के विद्वान एजीए की बात सुनी और रिकॉर्ड का अवलोकन किया।

*"अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"*



2. यह जमानत याचिका अभियुक्त-आवेदक की ओर से दायर की गई है। विशाल उर्फ शोभित ने वाद अपराध संख्या 18/2026 में धारा 109(1), 191(2), 351(3) और 352 बी.एन.एस., थाना सजेती, जिला कानपुर नगर के तहत जमानत पर रिहाई की मांग की है।

3. संक्षेप में, आरोपी आवेदक ने चार अन्य आरोपियों के साथ मिलकर कठोर और कुंद वस्तु से घायल व्यक्ति को चोट पहुंचाई है।

4. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि आरोपी आवेदक ने एफ.आई.आर. में लगाए गए आरोपों के अनुसार कोई अपराध नहीं किया है और उसे दुर्भावनापूर्ण इरादे से इस मामले में झूठा फंसाया गया है। एफ.आई.आर. या घायल के बयान में आवेदक को कोई विशिष्ट और अलग भूमिका नहीं सौंपी गई है। घायल के शरीर के महत्वपूर्ण अंगों पर कोई फ्रैक्चर आदि नहीं है। चिकित्सा रिपोर्ट में सात चोटें बताई गई हैं और उनमें से अधिकांश खरोंच और नील हैं। यह तर्क दिया गया है कि सह-आरोपी सन्नी उर्फ अंकेश को इस न्यायालय द्वारा दिनांक 27.02.2026 को आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या 7629/2026 में पारित आदेश द्वारा पहले ही जमानत पर रिहा कर दिया गया है। यह भी तर्क दिया गया है कि आवेदक का एक आपराधिक इतिहास है जिसका विवरण जमानत आवेदन के पैरा-19 में दिया गया है। आवेदक 19.01.2026 से जेल में है। दलील यह है कि मुकदमे के निष्कर्ष में पर्याप्त समय लगेगा और इस बात की कोई संभावना नहीं है कि वह न्याय की प्रक्रिया से भाग जाएगा या जमानत पर रिहा होने की स्थिति में सबूतों से छेड़छाड़ करेगा। अतः जमानत की अर्जी दी गई है।

5. इसके विपरीत, विद्वान ए.जी.ए. ने आवेदक की जमानत याचिका का विरोध करते हुए तर्क दिया है कि उसे मुकदमे से पहले के चरण में आवेदक की निर्दोषता का निर्णय नहीं किया जा सकता, इसलिए

*“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”*



वह किसी भी प्रकार की रियायत का पात्र नहीं है। यदि आवेदक को जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह फिर से इसी प्रकार की गतिविधियों में लिप्त होगा और जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करेगा।

6. इस तथ्य पर विचार करते हुए कि यद्यपि अभियुक्त आवेदक का नाम एफ.आई.आर. में है, परन्तु एफ.आई.आर. या पीड़ित के बयान में आवेदक को कोई विशिष्ट और अलग भूमिका नहीं सौंपी गई है, सभी अभियुक्तों को एक सामान्य भूमिका सौंपी गई है, सह-आरोपी सन्नी उर्फ अंकेश, जिसकी इसी तरह की भूमिका है, को पहले ही जमानत पर रिहा कर दिया गया है, विद्वान ए.जी.ए. इस तथ्य को स्वीकार करते हैं कि आवेदक का एक आपराधिक मामला है, जिसे विधिवत स्पष्ट किया गया है और मुकदमे के निष्कर्ष के संबंध में अनिश्चितता को ध्यान में रखते हुए; भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के व्यापक जनादेश को ध्यान में रखते हुए, सर्वोच्च न्यायालय के **मनीष सिसोदिया बनाम निदेशालय प्रवर्तन 2024 (एससी) लॉ सूट 677 के मामले में अनुच्छेद संख्या 53, संघ ऑफ इंडिया बनाम के.ए. नजीब (2021) 3 एससीसी 713 और सतेंद्र कुमार अंतिल बनाम केंद्रीय जांच ब्यूरो और अन्य के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर विचार करते हुए। (2022) 10 एससीसी 51** और मामले की खूबियों पर कोई राय व्यक्त किए बिना, उपर्युक्त अपराध में शामिल आवेदक को न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार समान राशि के व्यक्तिगत बांड और दो जमानती प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के साथ जमानत पर रिहा किया जाए: कि:-

- (i) आवेदक साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा और न ही गवाहों को धमकाएगा।
- (ii) आवेदक यह वचन देगा कि वह साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए निर्धारित तिथियों पर, जब गवाह न्यायालय में उपस्थित हों, तो सुनवाई स्थगित करने का अनुरोध नहीं करेगा।

**“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”**



(iii) आवेदक प्रत्येक निर्धारित तिथि पर, या तो स्वयं या संबंधित न्यायालय के निर्देशानुसार, अवर न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेगा।

(iv) आवेदक अवर न्यायालय के समक्ष निम्नलिखित तिथियों पर स्वयं उपस्थित रहेगा: (i) मामले की शुरुआत, (ii) आरोप तय करना और (iii) आरोपी का व्यक्तिगत बयान दर्ज करना, ताकि वह अपने विरुद्ध साक्ष्यों में प्रकट होने वाली परिस्थितियों को स्पष्ट कर सके।

(v) यदि आवेदक मुकदमे के दौरान जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है और उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए, अवर न्यायालय उसके विरुद्ध कानून के अनुसार सख्त कार्यवाही शुरू करेगी।

7. उपरोक्त किसी भी शर्त का उल्लंघन होने पर, अवर न्यायालय द्वारा जमानत रद्द की जा सकती है।

8. जमानत स्वीकार किए जाने से पहले आवेदक और जमानतदारों की पहचान और निवास प्रमाण का सत्यापन संबंधित न्यायालय द्वारा किया जाएगा।

**20 मार्च, 2026**

आशा

**(न्यायमूर्ति संतोष राय)**

*“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु हैं और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”*